निगरानी /टीए/2439/ 2005/ बांरा
जगदीश बनाम कालूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
09-1-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी। श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1. यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 200 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नंबर 276, 277, 281/445 है, का आवंटन प्रार्थी के पिता रामनारायण को वर्ष 1976 में विधिवत रूप से हुआ। आवंटन की राशि मय ब्याज प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई। अप्रार्थी कालूलाल ने न्यायालय जिला कलेक्टर बांरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रामनारायण भूमिहिन व्यक्ति नहीं था उसके पास 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। उसे कोई आवंटन नहीं किया जा सकता था। वह आवंटन का पात्र नहीं था। जिला कलेक्टर ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थी के पिता रामनारायण को हुआ आवंटन खारिज कर दिया। उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 7–4–05 द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी के पिता को विवादित आराजी का आवंटन 16–10–76 को हुआ था तथा कब्जा संभला दिया गया था। आज दिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। समय पर आवंटन की राशि 4000/–रूपये जमा नहीं कराई जो प्रार्थी ने मय ब्याज 22000/–रूपये जमा करा दिये। प्रार्थी को खातेदारी अधिकार दे दिये गये एवं काबिज काश्त है। जब तक पूर्व आवंटन खारिज नहीं हो जाता तब तक बाद का आवंटन दिनांक 3–6–81 का कोई महत्व नहीं है। बाद के आवंटन के तहत कब्जा लेने व राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आवंटन आदेश दिनांक 3–6–81 निरस्त कर विवादित आराजी सिवायचक दर्ज नहीं की जा सकती। प्रथम आवंटन निरस्त किये बिना विवादित आराजी सिवायचक दर्ज नहीं की जा सकती। प्रथम आवंटन आदेश दिनांक 16–10–76 अनुसार राशि मय ब्याज जमा कर लेने के बाद खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थी के पास 30 बीघा भूमि होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। जबकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	यह भूमि मंदिर की भूमि है तथा प्रार्थी उसका पुजारी है। रामनारायण के विधिक वारिसानों को भी सुना जाना आवश्यक था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने भी प्रार्थी के उक्त तर्को को नकारते हुये उसके द्वारा प्रस्तुत अपील गलत निरस्त की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे एवं आवंटन आदेश बहाल रखा जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि प्रार्थी के पास 30 बीघा भूमि पूर्व से ही थी। प्रार्थी रामनारायण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बिना आवंटन प्रक्रिया अपनाये अपने नाम आवंटन करवा लिया। जबकि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जाकाश्त है। विवादित आराजी सीलिंग की थी। रामनारायण की मृत्यु वर्ष 1996 में हुई तथा प्रार्थी द्वारा रामनारायण की मृत्यु के बाद आवंटन राशि जमा कराई एवं वर्ष 1998 में अपने नाम दर्ज करवाते हुये फौतगी नामांतरकरण खुलवाया है। रामनारायण का पूर्व का आवंटन नियमानुसार नहीं होने से पूर्व में खारिज किया जा चुका था। रामनारायण ने उक्त तथ्य दुबारा आवंटन के समय छिपाया था। रामनारायण ने नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराई है, अप्रार्थी ने नियमों के तहत आवंटन को चुनौती दी है तथा जिला कलेक्टर ने समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुये आवंटन निरस्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान अप्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर बांरा के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 23(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता रामनारायण को किया गया आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गई। जिसे जिला कलेक्टर बांरा ने अपने आदेश दिनांक 30–12–2003 द्वारा स्वीकार करते हुये प्रार्थी के पिता रामनारायण को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की स्थिति में यह निगरानी हमारे समक्ष पेश हुई है। प्रथम आवंटन अति0 जिला कलेक्टर सीलिंग द्वारा दिनांक 16–10–76 को किया गया। अति0 जिला कलेक्टर सीलिंग को आवंटन का क्षेत्राधिकार न होने की स्थिति में पुनः आवंटन उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 3–6–81 को किया गया। जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के पिता रामनारायण का आवंटन खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर के निर्णय का समर्थन करते हुये अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वक्त आवंटन प्रार्थी के पिता रामनारायण के खाते में 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी तथा आवंटन के पश्चात् आवंटी रामनारायण द्वारा न तो कब्जा प्राप्त किया गया और न ही काश्त की गई तथा आवंटी रामनारायण के बाद प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि की कीमत मय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	ब्याज राशि जमा कराने पर प्रार्थी के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक हुआ। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2–8–02 में आवंटी रामनारायण द्वारा आवंटित भूमि की कीमत जमा नहीं करवाने तथा कब्जा प्राप्त न करने के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के पक्ष में खोले गये नामांतरकरण को न्यायोचित नहीं बताया। जिला कलेक्टर ने पत्रावली में उपलब्ध समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये प्रार्थी के पिता रामनारायण का आवंटन निरस्त किया है तथा विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करते हुये पुनः नियमानुसार आवंटन किये जाने के निर्देश दिये है। चूंकि हस्तगत् प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा आवंटन से मृत्यु होने तक आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने तथा आवंटित भूमि की कीमत जमा नहीं करवाने की स्थिति में मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि की कीमत जमा करवाने पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जाने से प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मूल आवंटी की मृत्यु होने तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये तो आवंटी के पुत्रों को ऐसी भूमि के सम्बंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अपीलीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर के निर्णय से समर्थन जताते हुये प्रार्थी की अपील खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमे क्षेत्राधिकार के उपयोग, अथवा निहित किये गये क्षेत्राधिकार के गलत उपयोग अथवा गंभीर अनियमितता के साथ क्षेत्राधिकार के उपयोग की त्रुटी विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे सम्मुख दृष्टव्य नहीं कर पाये। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित किया जा सके। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	